

प्रमाण

अहिंसा कन्दु गुप्त
अनु सचिव,
अहिंसा प्रदेस शासन ।

सेवा में

सचिव,
अहिंसा आन्दोलन शिक्षा परिषद
शिक्षा केंद्र-2, समुदाय केंद्र
श्री लक्ष्मी नगर,
नई दिल्ली ।

दिनांक 20/11/58-7 सञ्चालक: दिनांक: 28 जून, 2001

विषय:- सुदूर प्रिन्सिपल पब्लिक स्कूल, आठवाबाद को सी.ओ.ओ.ए.सी.नहीं दिखनी है सम्बन्धित हेतु अनामतित प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

अनुसूचित शिक्षा को और आसक्त ध्यान आकृष्ट करके पूर्ण रूपे मह करने का निदेश हुआ है कि सुदूर प्रिन्सिपल पब्लिक स्कूल, आठवाबाद को सी.ओ.ओ.ए.सी.नहीं दिखनी है सम्बन्धित हेतु अनामतित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं के अधीन आसक्त नहीं है:-

- 1- विद्यालय को पूर्ण रूपे सौंपावली का सञ्चालन पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय को प्रथम शान्ति में शिक्षा निदेशक द्वारा परामित एक सहायक होगा ।
- 3- विद्यालय में कमी कम 10 प्रशिक्षित स्नान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आसक्त के कर्मियों के विधि सुरक्षित रहने और उनके उपाय/अनुसूचित शिक्षा द्वारा संवाचित विद्यार्थियों में विभिन्न कक्षाओं के लिए शिक्षा/विद्यार्थियों के उचित सुक नहीं दिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ण में विद्यालय आन्दोलन शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त है तथा विद्यालय को संवेदना की लिए वार दि प्रिन्सिपल स्कूल नहीं दिखने अथवा अहिंसा नई दिल्ली से प्राप्त करती है तो उक्त परीक्षा नहीं है उक्त केन्द्रीय परीक्षाओं को सम्बन्धित प्रमाण पत्रों को तिये से उपाय/अनुसूचित शिक्षा द्वारा प्रदत्त सहायता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त ही जायेगे ।
- 5- संस्था शिक्षा एवं शिक्षा/अनुसूचित कर्मियों को राज्य/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षा कर्मियों के कमी कर्मियों को अनुसूचित विद्यार्थियों तथा अन्य शरतों के कम वेतन/अथ अन्य शरत नहीं दिये जायेगे ।
- 6- कर्मियों कर्मियों को सेवा नहीं बनाई जायेगी और उक्त सहायता प्राप्त अतिरिक्त उपाय/अनुसूचित विद्यार्थियों के कर्मियों कर्मियों के अनुसूचित सेवा नियुक्ति का काम उचित/अथ करके जायेगे ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा सञ्चालन पर को भी आसक्त निम्नलिखित किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- उक्त शर्तों में राज्य सरकार से पूर्ण/अनुसूचित के विना कोई परीक्षा/संवेदना या परीक्षा/अनुसूचित नहीं दिया जायेगा ।
- 9- उक्त प्रतिक्रियाओं का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी सञ्चालक पर पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार को रुक या विधि/अथ करती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनामतित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

अभिधीन

अहिंसा कन्दु गुप्त
अनु सचिव ।

संख्या-1958/15-7-लक्ष्मीनगर ।

प्रतिक्रिया निम्नलिखित को सुधारा एवं आसक्त/अनुसूचित हेतु है कि:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, सञ्चालक ।
- 2- सञ्चालक संयुक्त शिक्षा निदेशक, आठवाबाद ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षण, आठवाबाद ।
- 4- राज्य भारतीय विद्यालय, उपाय/अनुसूचित ।
- 5- सुदूर प्रिन्सिपल पब्लिक स्कूल, आठवाबाद ।

आशा है,



अहिंसा कन्दु गुप्त
अनु सचिव ।